न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर जैदी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 138 सन 2018

अनवान :–

1. मांगेराम पुत्र रूधीरसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. मोहन पुत्र रूधीरसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर
2. राजेन्द्र पुत्र रूधीरसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. श्रवणसिह पुत्र मदनसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. जयसिह पुत्र मदनसिह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री आनन्द उपाध्याय अधिवक्ता सायल
श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता 3, 4 गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 27/01/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 110/117 के किला न0 0 मु.न. 0 किला न0 0/2 की 0.025हैक गै.मु. रास्ता प0न0 360/365(48) किला न0 21/2 की 0.1900हैक , प0न0 360/366 (57) किला न0 1/2 की 0.1270हैक किला न0 2/0.2530, 9 ता 12 प्रत्येक 0.2530हैक 20/0.2280 , कुल 1.8350हैक भूमि सायल व गैरसायल 1 ,2 सयुक्त खाते की कृषि भूमि है जिसमें सायल का 1/3 हिस्सा , गैरसायल न0 1 का 1/3 हिस्सा , व गैरसायल न0 2 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

गैरसायल न0 1 सायल का सगा भाई है तथा शराब पीने व नशे का आदि है गैरसायल न0 1 ने दिनांक 30.10.2018 को वादग्रस्त भूमि में से 0.2530हैक भूमि गैरसायल न0 3 ,4 से जरिये रजिस्ट्रर बैयनामा विक्रय कर दी गैरसायलान न0 3 ,4 सायल के खाते के लिये अजनबी है और गैरसायल न0 3 ,4 अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है गैरसायल 3 ,4 सायल के कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा करते है तो सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होता है।

वादग्रस्त भूमि मुश्तरका खाते की भूमि है खाता मुश्तरका रहने से वादग्रस्त भूमि कब्जा काश्त करने से लगान व सीव का विवाद रहता हे इसलिये खाता विभाजन करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 3 ,4 अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा करने के लिये वाद भूमि में पुराने बने हुये पानी के खाले को तोड दिया तथा गैरसायल न0 1 ,2 अच्छी किस्म की भूमि बेचान करने पर उतारू है गैरसायल 1 व 2 बिना खाता विभाजन करवाये भूमि बेचान करते है तो सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होता है वादग्रस्त भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है गैरसायल न0 3 ,4 को सयुक्त खाता में खाता तक्सीम करवाये बिना प्रवेश करने का कोई अधिकार नही है गैरसायल न0 3 ,4 अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है इसलिये सायल गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 110/117 की कुल 1.8350हैक भूमि को गैरसायल न0 1 ,2 खाता तक्सीम होने से पहले रहन बैय नही करे एवं गैरसायल न0 3 ,4 खाता विभाजन होने तक वाद भूमि के किसी भाग पर कब्जा करने से निषेध रहे अर्थात रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल न0 1 ,2 को नोटिस की तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई गैरसायल न0

3 ,4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

गैरसायल न0 3 ,4 का वाद भूमि में 0.253 हिस्सा है जो दिनांक 31.10.2018 को गैरसायल न0 3 ,4 की चिपती हुई भूमि मोहन पुत्र रूधिरसिह से जरिये बैयनामा खरीद शुद्वा है तथा मुताबिक वर्षो पूर्व हुए सायल व उसके भाईयों द्वारा धरू बटवारा के अलग– अलग काश्त करते आ रहे है उसमें प0न0 360/366(57) किला न0 11/0.253 हैक भूमि खरीद शुद्वा है उसी पर मौका पर काश्त है गैरसायल न0 3 ,4 को खरीद के समय इसी भूमि का कब्जा दिया गया था जो गेरसायल न0 3 ,4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं मौके पर फसल काश्त है प्रार्थना पत्र में खाला तोडने का मिथ्या कथन अंकित किया गया है गैरसायल न0 1 ,2 का गैरसायल न0 3 ,4 का कोई सम्बध नही है।

रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 110/117 की कुल 1.6200हैक भूमि में मांगेराम , मोहन , राजेन्द्र उर्फ राजपाल की सयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें तीनों ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार थे जिसका बाहमी बटवारा तीनों भाईयो ने किया हुआ है तथा बटवारें में प्राप्त भूमि पर ढाणिया बनाई हुई है तथा मौका पर काश्त है बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि का बेयनामा गेरसायल न0 1 ,2 ने गैरसायल न0 3 ,4 को करवाया गया है उसी के अनुसार भूमि का कब्जा दिया गया है जो गैरसायल न0 3 ,4 के कब्जा काश्त में है सायल मात्र बेयनामा का नामान्तकरण दर्ज ना हो सके इसलिये स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जो साजिश मात्र है इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

गैरसायल न0 3 ,4 का जबाब पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 110/117 के किला न0 0 मु.न. 0 किला न0 0/2 की 0.025हैक गै.मु. रास्ता प0न0 360/365(48) किला न0 21/2 की 0.1900हैक , प0न0 360/366 (57) किला न0 1/2 की 0.1270हैक किला न0 2/0.2530, 9 ता 12 प्रत्येक 0.2530हैक 20/0.2280 , कुल 1.8350हैक भूमि सायल व गैरसायल 1 ,2 सयुक्त खाते की कृषि भूमि है जिसमें सायल का 1/3 हिस्सा , गैरसायल न0 1 का 1/3 हिस्सा , व गैरसायल न0 2 का 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

गैरसायल न0 1 सायल का सगा भाई है तथा शराब पीने व नशे का आदि है गैरसायल न0 1 ने दिनांक 30.10.2018 को वादग्रस्त भूमि में से 0.2530हैक भूमि गैरसायल न0 3 ,4 से जरिये रजिस्ट्रर बैयनामा विक्रय कर दी गैरसायलान न0 3 ,4 सायल के खाते के लिये अजनबी है और गैरसायल न0 3 ,4 अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है गैरसायल 3 ,4 सायल के कब्जा काश्त की भूमि पर कब्जा करते है तो सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होता है।

वादग्रस्त भूमि मुश्तरका खाते की भूमि है खाता मुश्तरका रहने से वादग्रस्त भूमि कब्जा काश्त करने से लगान व सीव का विवाद रहता हे इसलिये खाता विभाजन करवा पाने के अधिकारी है।

गैरसायल न0 3 ,4 अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा करने के लिये वाद भूमि में पुराने बने हुये पानी के खाले को तोड दिया तथा गैरसायल न0 1 ,2 अच्छी किस्म की भूमि बेचान करने पर उतारू है गैरसायल 1 व 2 बिना खाता विभाजन करवाये भूमि बेचान करते है तो सायल को ना पुरा होने वाला नुकसान होता है वादग्रस्त भूमि सयुक्त खाते में दर्ज है गैरसायल न0 3 ,4 को सयुक्त खाता में खाता तक्सीम करवाये बिना प्रवेश करने का कोई अधिकार नही है गैरसायल न0 3 ,4 अच्छी किस्म की भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है इसलिये सायल गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है।

गैरसायल न0 3 ,4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की गैरसायल न0 3 ,4 का वाद भूमि में 0.253 हिस्सा है जो दिनांक 31.10.2018 को गैरसायल न0 3 ,4 की चिपती हुई भूमि मोहन पुत्र रूधिरसिह से जरिये बैयनामा खरीद शुद्वा है तथा मुताबिक वर्षो पूर्व हुए सायल व उसके भाईयों द्वारा धरू बटवारा के अलग– अलग काश्त करते आ रहे है उसमें प0न0 360/366(57) किला न0 11/0.253 हैक भूमि खरीद शुद्वा है उसी पर मौका पर काश्त है गैरसायल न0 3 ,4 को खरीद के समय इसी भूमि का कब्जा दिया गया था जो गेरसायल न0 3 ,4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं मौके पर फसल काश्त है प्रार्थना पत्र में

खाला तोडने का मिथ्या कथन अंकित किया गया है गैरसायल न0 1 ,2 का गैरसायल न0 3 ,4 का कोई सम्बध नही है।

रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 110/117 की कुल 1.6200हैक भूमि में मांगेराम , मोहन , राजेन्द्र उर्फ राजपाल की सयुक्त खातेदारी भूमि है जिसमें तीनों ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार थे जिसका बाहमी बटवारा तीनों भाईयो ने किया हुआ है तथा बटवारें में प्राप्त भूमि पर ढाणिया बनाई हुई है तथा मौका पर काश्त है बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि का बेयनामा गेरसायल न0 1 ,2 ने गैरसायल न0 3 ,4 को करवाया गया है उसी के अनुसार भूमि का कब्जा दिया गया है जो गैरसायल न0 3 ,4 के कब्जा काश्त में है सायल मात्र बेयनामा का नामान्तकरण दर्ज ना हो सके इसलिये स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है जो साजिश मात्र है इसलिये सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायलान गैरसायल सयुक्त खाता की भूमि में कोनसी भूमि पाने के अधिकारी है एवं वाद भूमि के सम्बध में पूर्व में कोई बाहमी बटवारा हुआ है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 110/117 की कुल 1.8350हैक भूमि सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 4 के नाम सयुक्त खाते में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है अर्थात सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 4 मुश्तरका खातेदार काश्तकार है एवं गैरसायल न0 3 ,4 के द्वारा गैरसायल न0 1 ,2 से 0.253 हिस्सा भूमि खरीदशुद्वा खातेदार काश्तकार है सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 4 सयुक्त खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन एक सामान है।

सायल का कथन है कि गैरसायल न0 1 अच्छी किस्म की भूमि बेचान करना चाहता है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायल एवं गैरसायल न0 1 ता 4 सयुक्त खातेदार काश्तकार है सयुक्त खाते की भूमि में सायल एवं गैरसायल दोनो का बराबर का हक हिस्सा है जब तक सयुक्त खाता की भूमि का खाता विभाजन नही हो जाता तब तक सयुक्त खातेदार सयुक्त खाते की भूमि के किसी विशेष भू0 भाग पर अपना अधिकार नही मान सकता है

गैरसायल न0 3 ,4 ने गैरसायल न0 1 ,2 से सयुक्त खाते में दर्ज भूमि में से 0.253हिस्सा ही खरीद किया गया है ना की विशेष भाग को खरीद किया गया है जो बेयनामा से साबित है इसलिये गैरसायल सयुक्त खाते के किसी विशेष भू0 भाग पर अपना अधिकार नही मान सकता है। अर्थात सयुक्त खाता की भूमि में बिना खाता विभाजन करवाये किसी विशेष भू0 भाग पर अपना अधिकार सयुक्त खातेदार तय नही कर सकता है गैरसायल ने अपने जबाब में विशेष भू भाग का उल्लेख किया गया है जिससे सायल को अपूर्णीय क्षति हो सकती है जब वाद भूमि का खाता विभाजन नही हो जाता तब तक वाद भूमि की रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जानी न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपूर्णीय क्षति के बिन्दु सायल के पक्ष में होने के कारण सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय द्वारा दिनांक 28.11.2018 को रोही मौजा 1 जेएसएन के खाता संख्या 110/117 की 1.8350हैक भूमि पर जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा कन्फर्म किया जाता है उक्त भूमि में यदि खाला व रास्ता है तो उस पर उक्त स्थगन आदेश लागू नही होगा व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/1/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)